नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय अनिरीयत जज
30-5-2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट, सारहीन होने से अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:42:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाँसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र रेगर, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. – 26/2022 दायरा तारीख – 24.03.22

उनवान

1. सेवालाल पिता स्व. नाथू जाति भील; ग्राम मलवासा
2. विकास पिता स्व. नाथू जाति भील; ग्राम मलवासा
3. निलेश पिता स्व. नाथू जाति भील; ग्राम मलवासा
4. श्रीमति कमली पत्नी स्व. नाथू जाति भील ग्राम मलवासा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. शान्ति पिता खातिया मईडा जाति भील नि. पीपलोद
2. तहसीलदार बाँसवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित –

. श्री राजेन्द्र पाटीदार – अधिवक्ता प्रार्थीगण

-: प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 212 आर.टी. एक्ट :-

~ निर्णय ~ दिनांक – 30/5/22

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता सं. 557 नया पुराना 213 ख.नं. 138/1 रकबा 0.1618 हे., ख. नं. 1551/134 रकबा 0.1618 हे. एवं ख. नं. 1563/129 कुल किता 3 कुल [illegible] मलवासा पटवार हल्का पाडोकला तहसील बाँसवाड़ा [illegible] है।

एक माह [illegible] ने उक्त आराजियात के ख. नं. 138/1 की कृषि भूमि [illegible] जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है प्रार्थीगण के समझाईश के [illegible] - - -

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:42:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बावजूद भी नहीं माना और हमें ख. नं. 138/1 से बे-दखल कर देना चाहता है।

दिनांक 24.06.2021 से लगातार अप्रार्थी अनाधिकृत व अवैधानिक रूप से हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 138/1 पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य गैर वैधानिक होकर अवैध है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर-टी. एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त ख. नं. 138/1 जिस पर अप्रार्थी सं. 1 ने जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा कर लिया है उसे अप्रार्थी के स्वयं के खर्चे से हटाये जाने के आदेश प्रदान करें तथा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजियात में रूकावट पैदा न करे, जबरन प्रवेश न करे, लड़ाई झगड़ा न ले स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र बाद दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने समन लेने से इन्कार किया जिसे तलबी स्वीकार किया गया। प्रार्थना-पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया।

दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित कथनों को दोहराते स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:42:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना-पत्र की चरण सं. 3 में प्रार्थी ने कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 ने ख. नं. 138/1 में

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

जबरन प्रवेश कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। इसी प्रकार चरण सं. 4 में "उक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लेने के कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि से महरूम होना पड़ रहा है।" का अंकन है। चरण सं. 6 में प्रार्थी ने कथन किया है कि दिनांक 24.6.2021 से लगातार उक्त खेत में प्रवेश करने हेतु उतारू है।

प्रार्थना-पत्र के अन्त में प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी सं.1 द्वारा अनाधिकृत किये गये कब्जे को उसी के खर्चे से हटवा कर मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 212 (1) में निम्नानुसार उल्लेख है -

(1) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथ-पत्र पर या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाय कि -

(क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है तत्सम्बद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने के खतरे में है, या

(ख) उक्त वाद या कार्यवाही से सम्बद्ध कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस सम्पत्ति को हटाने या उसका व्ययन करने की धमकी देता है या विचार रखता है

तो न्यायालय अस्थायी आदेश जारी कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो एक रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Contd.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:42:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अपने अभिकथनों/ कथनों में व अनुतोष में जो उल्लेख किया है वह अधिनियम के प्रावधानों से मेल नहीं खाता है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्पष्ट, सारहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

निष्कर्षत: प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय लिखा जाकर खरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी
(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी-बाँसवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:42:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner